ग्राम पंचायत भडियाड़ा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग—एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भडियाड़ा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत भडियाड़ा में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधान :—

1	श्री रविन्द्र सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025

सचिव :—.

1	श्री संदीप कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत भडियाड़ा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	54.01
2	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.44

3	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना ।	0.06
4	8	ट्रांजिट पास फार्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय/भुगतान	3.32
6	9	निर्माण कार्य हेतु क्रय सामग्री का दुर्विनियोजन करना	0.04
7	10	प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में राशि का अन्तर	9.62

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई। पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जोकि चिन्तनीय विषय है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु विशेष कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का समायोजन सम्भव हो सके। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	5.2	अनिर्णीत ।
2	8	अनिर्णीत ।
3	17	अनिर्णीत।

2 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत, अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 289 से करने उपरान्त
2	4.1 (क)	अनिर्णीत।

3	4.1 (ख)	अनिर्णीत।
4	4.1 (ग)	अनिर्णीत।
5	4.1 (घ)	अनिर्णीत।
6	5	अनिर्णीत।
7	6.1	अनिर्णीत।
8	6.2	अनिर्णीत।
9	6.3	अनिर्णीत।
10	6.4	अनिर्णीत।
11	7.1	अनिर्णीत।
12	7.2	अनिर्णीत।
13	8.1	अनिर्णीत।
14	8.2	अनिर्णीत।
15	8.3	अनिर्णीत।
16	8.4	अनिर्णीत।
17	8.5	अनिर्णीत।
18	8.6	अनिर्णीत।
19	9	अनिर्णीत।
20	10	अनिर्णीत।
21	11	अनिर्णीत।
22	12	अनिर्णीत।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत भडियाड़ा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 19.04.2025 से 26.04.2025 तक ग्राम पंचायत

कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024—2025	11/2024	02/2025

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):-</u> इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्क :—**

ग्राम पंचायत भडियाड़ा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/— बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 113 दिनांक 26.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. **वित्तीय स्थिति :—**

ग्राम पंचायत भडियाड़ा, विकास खण्ड रैत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

(1) स्वः स्त्रोत :— ग्राम पंचायत भडियाड़ा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2024-25	242772.5	140789	5713	389274.5	75809	313465.5

(2) अनुदान : ग्राम पंचायत भडियाड़ा के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2024-25	4858270.39	8429566	155103	13442939.39	8042122.6	5400816.79

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 15th FC, MPLAD,MMGPY,SDP,SDRF,RGSA.

A/c No. 20040016468	KCCB Gagal	Own Source	313020
A/c No. 50074703562	KCCB Gagal	5th State	150205.5
A/c No. 5005566145	KCCB Gagal	IAY	5
A/c No. 50055666247	KCCB Gagal	VKVNY	53669.85
A/c No.50100358553011	HDFC Draman	15th FC	3299285.7
A/C No. 50075030934	KCCB Gagal	MPLAD	624
A/C No. 50075636231	KCCB Gagal	MMGPY	167189
A/c No. 50055666316	KCCB Gagal	SDP	849497
A/c No 50055666178	KCCB Gagal	SDRF	549110.7
A/c No 50100358468650	KCCB Gagal	RGSA	331235.8
A/c No 50055666021	KCCB Gagal	SBM	8
cash in hand			445
		Total	**5714295.55**

Cash Book Balance on 31.03.2025 (Own Source)		313465.5
Cash Book Balance on 31.03.2025	5 SFC	150205.5
Cash Book Balance on 31.03.2025	VKVNY	53669.85
Cash Book Balance on 31.03.2025	15TH FC	3299285.7
Cash Book Balance on 31.03.2025	MPLAD	624
Cash Book Balance on 31.03.2025	MMGPY	167189
Cash Book Balance on 31.03.2025	SDP	849497
Cash Book Balance on 31.03.2025	SDRF	549110.74
Cash Book Balance on 31.03.2025	RGSA	331235
		0
	Total	**5714282.29**
	diffrence	**13.26**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹13/– का अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2025 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹13/– पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114 दिनांक 26.04.25 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 09.05. 2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि आई0ए0वाई0 व एस0बी0एम0 के शीर्ष ऑनलाईन रोकड़ बही में बन्द होने के कारण ₹13/– का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं हो सकता। अतः उक्त राशि को सभा निधि के खाते में हस्तान्तरित करने उपरान्त रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

5. निवेश :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के कुशल प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है। दिनांक

31.03.2025 को पचायत की सभा निधि में ₹ 2,42,772/— से ₹ 3,13,465/— की राशि शेष थी, जबकि अंकेक्षणावधि के दौरान व्यय मात्र ₹75809 था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 115 दिनांक 26.04.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 09.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये गयें आश्वासनानुसार प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप--1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख–रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹54.01 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा–निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट--1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान ₹ 54,00,817.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अतः उक्त शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.44 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त

कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2025 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2025 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व सम्पति कर ₹ 44,482/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024–25	54232	40150	94382	49900	44482

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 116 दिनांक 26.04.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 09.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹ 44,482/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 5,600/– की प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि (₹)
1	2024–25	5600.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 117 दिनांक 26.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 09.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

8. खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹3.32 लाख के अनियमित भुगतान करने बारेः—

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म—डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म—एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान **₹** 3,31,775/— की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय—समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 118 दिनांक 26.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 09.05.2025 द्वारा सूचित किया कि कुछ सामग्री के फार्म एक्स व डब्ल्यू प्राप्त किये गये हैं। अतः भविष्य में समस्त सामग्री फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. निर्माण कार्य पुली नजदीक छिंज मेला मैदान हेतु राशि ₹0.04 लाख की सामग्री के दुर्विनियोजन बारे :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, संपरीक्षा, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार सम्बद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय/अधिक भुगतान की शीघ्र वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य पुली नजदीक छिंज मेला मैदान शीर्ष एस0डी0पी0 के अंकेक्षण पर पाया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री (शटरिंग व बोल्डर) का निष्पादन कम किया गया दर्शाया गया था जबकि उक्त कार्य के लिए निर्माण सामग्री (शटरिंग व बोल्डर) का क्रय अधिक किया गया था और बची हुई सामग्री को भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं लिया गया था, फलस्वरूप इस सामग्री के दुर्विनियोजन की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

माप पुस्तिका संख्या व दि0	सामग्री का नाम	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	नि0 कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अन्तर	दर (₹)	राशि (₹)
46746 पृष्ठ 24 से 29	शटरिंग	300 Cft	197 Cft	103 Cft	25	2575
	बोल्डर	250 Cft	205 Cft	45 Cft	25	1125
						3700

Consumption Statement

Item	Qty(Sqmt/Cubm)	Factor	Qty(Sqft/Cuft)
Form Work	18.25 Sqmt (4.65 + 13.60)	10.76	197 Sqft
Boulder filling	5.81 cubm	35.31	205 Cft

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 119 दिनांक 26.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 09.05.2025 द्वारा सूचित किया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः इस अनियमितता बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये उपरोक्त अनियमित भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा सामग्री दुर्विनियोजन के फलस्वरूप हुई हानि की वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

10. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹ 9.62 लाख की राशि के अन्तर बारेः—

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ—साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई—पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹9,62,422.00 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि संस्था के लेखें विरोधाभाषित होने के कारण सच्ची एवं सही स्थिति नहीं दर्शाते हैः—

31.03.2025 को प्रिया साफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	6676704.29
31.03.2025 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	5714282.29
अन्तर	₹	962422.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 121 दिनांक 26.04.2025 द्वारा उक्त अन्तर बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या

शून्य दिनांक 09.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट तथा मैनुअल लेखों को ठीक करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

11. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत आदि की प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 120 दिनांक 26.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 09.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त कार्य प्रगति पर हैं, अतः सम्बन्धित अभिलेख से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियम प्रावधानों के अनुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं है। अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाने बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वांछित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण को सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

1	नि0 सुरक्षा दिवार पटियाल बस्ती 15वाँ वित्तायोग
2	नि0 नाली व पुली जोनी कुमार घर के पास 15वाँ वित्तायोग
3	नि0 नाली व पुली पटियाल बस्ती 15वाँ वित्तायोग
4	नि0 नाली वार्ड नं0 3, 4 व 5 15वाँ वित्तायोग

5	नि0 रास्ता व पुली पटियाल बस्ती 15वाँ वित्तायोग
6	नि0 खेल कूद उपकरण खेल मैदान विधायक निधि
7	नि0 रास्ता ईण्टरलॉक टाईल सहित कुलदेवी मन्दिर विधायक निधि

12. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	**रजिस्टर का प्रकार/विवरण**	**प्रारूप**	**सन्दर्भित नियम**
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

13 **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 **लघु आपत्ति विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

15 **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

4293-4297 09 JUL 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)289/2021–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत भडियाड़ा, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

09 JUL 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

को0/प्रति

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bhadiara" for the year ended 2024-25

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 SFC	81075.5	632152	2526	715753.5	565548	150205.5
2	VKVNY	298273.85	735766	6272	1040311.85	986642	53669.85
3	15TH FC	3524357.3	2973459	114206	6612022.3	3312736.6	3299285.7
4	MPLAD	604	0	20	624	0	624
5	MMGPY	171306	190000	2586	363892	196703	167189
6	SDP	531102	1091047	19275	1641424	791927	849497
7	SDRF	250886.74	631177	4686	886749.74	337639	549110.74
8	RGSA	665	450000	5532	456197	124962	331235
9	MNREGA	0	1725965	0	1725965	1725965	0
	Total Rs.	4858270.39	8429566	155103	13442939.39	8042122.6	5400816.79

Balance as per Bank on 31.03.2025

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 15th FC, MPLAD,MMGPY,SDP,SDRF,RGSA.

A/c No. 20040016468	KCCB Gagal	Own Source	313020
A/c No. 50074703562	KCCB Gagal	5th State	150205.5
A/c No. 5005566145	KCCB Gagal	IAY	5
A/c No. 50055666247	KCCB Gagal	VKVNY	53669.85
A/c No.50100358553011	HDFC Draman	15th FC	3299285.7
A/C No. 50075030934	KCCB Gagal	MPLAD	624
A/C No. 50075636231	KCCB Gagal	MMGPY	167189
A/c No. 50055666316	KCCB Gagal	SDP	849497
A/c No 50055666178	KCCB Gagal	SDRF	549110.7
A/c No 50100358468650	KCCB Gagal	RGSA	331235.8
A/c No 50055666021	KCCB Gagal	SBM	8
cash in hand			445
		Total	5714295.55

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		313465.5
Cash Book Balance on 31.03.2025	5 SFC	150205.5
Cash Book Balance on 31.03.2025	VKVNY	53669.85
Cash Book Balance on 31.03.2025	15TH FC	3299285.7
Cash Book Balance on 31.03.2025	GRDY	624
Cash Book Balance on 31.03.2025	MMGPY	167189
Cash Book Balance on 31.03.2025	SDP	849497
Cash Book Balance on 31.03.2025	MPLAD	549110.74
Cash Book Balance on 31.03.2025	RGSA	331235
		0
	Total	5714282.29
	diffrence	-13.26

Kangra (H.P.)

Financial Position of Own sources in r/o GP Bhadiara

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2024-25	242772.5	140789	5713	389274.5	75809	313465.5

Bhadiara
Kangra (H P)

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 7 के संदर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2024-25 in r/o GP Bhadiara **Distt.Kangra,H.P.**

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2024-2025	54232	40150	94382	49900	44482
	No. of family 803 Rate 50/- per annum				

Kangra (H.P.)

परिशिष्ट-3
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के सन्दर्भ में)

Name Of Gram Panchayat bhadiara Development Block Rait Distt.Kkangra (H.P)										
(2024-25)										
SR. No	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher N0 &Date	Bill NO &Date	Sand CFT	Bajri CFT	Bolder	Bricks Nons	Amount
1	C/O Of P/Wall Near the House Of Aruna Kumari W/O Tilak Raj	SDRF	Manhas Brother	10 /01/02/25	148/05/07/24	200	400	0	0	31600
2	C/O Of P/Wall Kandwal Basti	SDP	Manhas Brother	17/ 04/02/25	177/ 18/01/25	250	250	0	0	26500
3	C/O Protection Wall SC Basti Ward N0 4	SDP	Manhas Brother	16/07/02/25	171/30/09/24	150	300	0	0	23700
4	C/O Rasta Interloc Tile Kul Devi Mander SC Basti Ward N0 6	VKVNY	Vinay Kumar Patial	24/07/02/25	398 15/07/24	350	350	300	0	52800
5	C/O Of Jeepble Rood Dal To Sita Ram House	VKVNY	Vinay Kumar Patial	27/07/02/25	32/05/08/23	300	600	280	0	48780
6	C/O Well Patiyal Basti Ward no 4	15th Fc	Manhas Brother	149/ 14/02/25	191/16/12/24	100	180	0	0	14800
7	C/O Drange With Protection Wall Joni Kumar House	15th Fc	Manhas Brother	151/14/02/25	190/04/02/25	100	200	0	0	18800
8	C/O well Ward N0 5 Bhadsiara	15th Fc	Manhas Brother	157/18/02/25	179/05/01/25	300	300	0	0	32400
9	C/O Nali Ward N0 5	15th Fc	Vinay Kumar Patial	158/18/02/25	430/01/01/25	120	200	0	0	16695
10	C/O Of Deange Lampanch Basti Bhadiara	15th Fc	Manhas Brother	165/28/02/25	151/01/01/25	150	250	0	0	21200
11	C/O Patiyal Basti	15th Fc	Vinay Kumar Patial	166 /28/02/25	166/28/11/24	250	500	100	0	44500
	Total					2270	3530	680	0	331775

PRADHAN
Dev. BLOCK

19